



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	20.06.2013	
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	19.07.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	20.07.2013	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	29.07.2013	
परीक्षा दिनांक व दिन	18.08.2013 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पद हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500/- अनु. जाति/अनु. जनजाति/निःशक्तजन के लिए – 250/-
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तर भरने का समय
18.08.2013 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाइल फोन, कैल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे— आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में समिलित होने से वंचित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा—2013

विषय—सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय—1 — संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के विभागीय चयन नियम	3—8
2.	अध्याय—2 — मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	9—16
3.	अध्याय—3 — विस्तृत पाठ्यक्रम	17—18
4.	प्रारूप—1 — प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	19
5.	प्रारूप—2 — आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	20

अध्याय-1

विभागीय चयन नियम

1.1 चयन संबंधी अनुदेश :

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के पत्र क्रमांक/उद्यान/अ-1/स्था./2012-13/स्टेनो/146 दिनांक 20.05.2013 के अनुसार ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के सीधी भर्ती के 415 पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2013 के लिए आवेदन कर रहे अन्यर्थियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ :-

“आरक्षण” से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

“अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

“अनुसूचित जन जाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

“अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।

“भर्ती का वर्ष” से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

“मंडल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

“विभाग” से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :-

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों का विवरण:-

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	143	71	24	00	238
2.	अनुसूचित जाति (SC)	07	03	01	00	11
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	45	22	07	00	74
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	55	28	09	00	92
योग :-		250	124	41	00	415

1.4 पदनाम, वेतनबैंड + ग्रेडपे तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

संक्र.	पदनाम व वेतनबैंड + ग्रेडपे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 5200-20200+गोड पे 2400/-	कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी में स्नातक

नोट:- 1. आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

1.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (l) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-
- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
 - (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
 - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
 - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
 - (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के पत्र क्रमांक/उद्यान/अ-1/स्था./2012-13/स्टेनो/146 दिनांक 20.05.2013 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :-

स.क्र.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष

7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

1.6.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :—

- (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.6.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :—

- (क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

- (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
 (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
 (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
 (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
 (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।
 (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
 (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345—4005—सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।
- ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भर्ती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप—

- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग—पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.7 चयन का आधार :—

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 200 अंक) व तीन घंटे की समयावधि का एक प्रश्न—पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न—पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय—3 देखें।

1.8 प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची :—

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.9 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.10 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण—पत्रों का विवरण :-

1.10.1 स्थाई निवासी प्रमाण—पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र धारक होना चाहिए।

1.10.2 जाति प्रमाण—पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है।

1.10.3 विकलांग प्रमाण—पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है।

1.10.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण—पत्र :-

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है।

1.11 दस्तावेजों/प्रमाण—पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण—पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण—पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ कोई भी प्रमाण—पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.12 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

- (क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
- (ग) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (घ) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरहित माना जा सकेगा।
- (ङ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।
- (च) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

1.13 नियुक्ति की शर्तेः

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध—पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.14 यात्रा भत्ता का भुगतान :—

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. एफ—6—1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपरिथित होने पर संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :—

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

-----0-----

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन—पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।
- 2.2 ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की व्यवस्था :-
- (1) वेबसाईट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
 - (2) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा—2013 ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योरेक्ट को नकद निर्धारित शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 500/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 250/- तथा अतिरिक्त क्योरेक्ट शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
 - (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।
- 2.4 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।
- 2.5 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने संबंधी निर्देश :-
- ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा। विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 2.6 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-
- (i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
 - (ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
 - (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.7 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- 2.7.1 ऑनलाईन आवेदन 20.06.2013 से 19.07.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 2.7.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :— (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

2.7.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** विलक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा-2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को विलक करें।

2.7.2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2.7.2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2.7.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा

सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.2.5 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :—

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :—

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्केन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

2.7.3.2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकता है।

नोट:- ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.8 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :—

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—

2.8.1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.8.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो

उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुजाति/अनुजनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- 2.8.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 2.8.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2.9 ऑनलाईन आवेदन—पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन—पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश—पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.10 परीक्षा प्रवेश—पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश—पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश—पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट— प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा केवल भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर शहरों में आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

2.12 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश—पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे— आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.13 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.14 परीक्षा का प्रश्न—पत्र :—

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न एक अंक का) व तीन घंटे अवधि का एक प्रश्न—पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :—

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :— निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.16 मूल्यांकन पद्धति :—

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.17 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :—

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
 2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
 3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 4. कोई भी विकल्प सही न हो।
 5. यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :— सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.18 प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :—

प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप—1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.19 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :—

- (1) मॉडल आंसर्स (आर्दश उत्तर) :— परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप—2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (2) फायनल आंसर्स (अंतिम उत्तर) :— प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को “की” समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। “की” समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.17 अनुसार “की” समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स

(Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.20 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :—

अध्याय—1, 2 एवं 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की बेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत मण्डल की बेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.21 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की बेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित बेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.22 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :—

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ—8—2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :—

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :—

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :—

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :—

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ़्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.23 मण्डल का क्षेत्राधिकार :—

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.24 अभिलेखों का संधारण :—

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.25 न्यायिक क्षेत्राधिकार :—

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

—0—

अध्याय — 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

SYLLABUS

SUBJECT – HORTICULTURE

STANDARD – Graduation
{B. Sc. (HORTICULTURE)}

1. Principles of Landscape Gardening
2. Fundamentals of Horticulture Economic importance and classification of horticultural crops, Production and practices for fruit, vegetable and floriculture crops, nursery techniques and their management.
3. Tropical and Sub-Tropical Fruits Horticultural classification of fruits including genome classification, Horticultural zones of India, Physiological disorders. Post-harvest technology, Production problems, Rainfed horticulture, importance and scope of arid and semi-arid zones of India.
4. Tropical and Sub-Tropical Vegetables Area, production, economic importance and export potential of tropical and sub-tropical vegetable crops. Description of varieties and hybrid, climate and soil requirements, seed rate, preparation of field, nursery practices; transplanting of vegetable crops and planting for directly sown/transplanted vegetable crops.
5. Water Management in Horticultural Crops Importance of water, water resources in India, Available and unavailable soil moisture, Water requirement of horticultural crops – lysimeter studies, sprinkler and drip irrigation, their suitability, merits and limitations, fertigation, economic use of irrigation water.
6. Plant Propagation and Nursery Management Propagation: Need and potentialities for plant multiplication, sexual and asexual methods of propagation.
7. Growth and Development of Horticultural Crops Growth and development, canopy development, Plant bioregulators- auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene inhibitors and retardants, Flowering-factors.
8. Temperate Vegetables Importance of cool season vegetable crops in nutrition and national economy. Area, production, export potential, description of varieties and hybrids, origin, climate and soil, production technologies, seed production, post-harvest technology.
9. Nematode Pests of Horticultural Crops and their Management History of development of nematology - definition, economic importance, Role of nematodes in plant disease complex.
10. Diseases of Fruits, Plantation and Medicinal and Aromatic Crops: Etiology, symptoms, mode of spread, epidemiology and integrated management of the diseases of fruits, plantation, medicinal and aromatic crops viz mango, banana, grape, citrus, guava, sapota etc.
11. Temperate Fruits Classification of temperate fruits, detailed study of areas, production, varieties, climate and soil requirements, propagation, planting density, cropping systems etc.
12. Weed Management in Horticultural Crops Weeds: Introduction, harmful and beneficial effects, classification, propagation and dissemination; Concepts of weed prevention, control and eradication.
13. Commercial Floriculture Scope and importance of commercial floriculture in India, production techniques of ornamental plants.
14. Spices and Condiments History, scope and importance, area and production, uses, export potential and role in national economy.

15. Ornamental Horticulture History, scope of gardening, aesthetic values, Gardens in India, types of gardens, Landscaping, historical background, definition, Floriculture industry, Landscaping.
16. Plantation Crops History and development, scope and importance, area and production.
17. Breeding of Fruit and Plantation Crops Fruit breeding, breeding strategies, clonal selection, bud mutations, mutagenesis.
18. Orchard Management Orchard management, importance, objectives, merits and demerits, clean cultivation, sod culture, Sod mulch, herbicides and inorganic and organic mulches.
19. Insect Pests of Fruit, Plantation, Medicinal and Aromatic Crops General economic classification of insects; ecology and insect-pest management with reference to fruit, plantation, medicinal and aromatic crops; pest surveillance.
20. Medicinal and Aromatic Crops History, scope, opportunities and constraints in the cultivation and maintenance of medicinal and aromatic plants in India.
21. Breeding of Vegetable, Tuber and Spice Crops Centers of origin, plant bio-diversity and its conservation, Models of reproduction, pollination systems and genetics of important vegetable, tuber and spice crops.
22. Diseases of Vegetable, Ornamental and Spice Crops Etiology, symptoms, mode of spread, epidemiology and integrated management of diseases.
23. Potato and Tuber Crops Origin, area, production, economic importance and export potential of potato and tropical, sub-tropical and temperate tuber crops; description of varieties and hybrids.
24. Insect Pests of Vegetable, Ornamental and Spice Crops Economic importance of insects in vegetable, ornamental and spice crops -ecology and pest management with reference to these crops.
25. Post Harvest Management of Horticultural Crops Importance of post-harvest technology in horticultural crops; Maturity indices, harvesting, handling, grading of fruits, vegetables, cut flowers, plantation crops, medicinal and aromatic plants; Pre-harvest treatment and precooling, pre-storage treatments. Different systems of storage, packaging methods and types of packages, recent advances in packaging, Types of containers and cushioning materials, vacuum packaging, cold storage, poly shrink packaging, grape guard packing treatments.
26. Seed Production of Vegetable, Tuber and Spice Crops Introduction and history of seed industry in India, Principles of vegetable seed production, Methods of seed production of cole crops, root vegetables, solanaceous vegetables, cucurbits, leafy vegetables, bulb crops, leguminous vegetables and exotic vegetables, Seed legislation.
27. Breeding and Seed Production of Ornamental Crops History of improvements of ornamental plants, objectives and techniques in ornamental plant breeding; Introduction, selection, hybridization, mutation and biotechnological technique for improvement of ornamental plants. Breeding for disease resistance.
28. Processing of Horticultural Crops Importance and scope of fruit and vegetable preservation industry in India, food pipe line, losses in post-harvest operations, unit operations in food processing.

प्रारूप-1
(देखें नियम 2.18)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

प्रारूप-2
(देखें नियम 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में
उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित
उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

सहमति प्रमाण—पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा—2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय—1, 2 व 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण—पत्र सत्यापित /हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम :—.....
 पदनाम :—.....
 सील :—.....
